

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक :- प.19 (6) सा.प्र./ग्रुप-4/15

जयपुर, दिनांक 29/10/15

मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन)
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:- छठीं एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नांकित छठीं श्रेणी के राजकीय आवास में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु राशि रु. 7.22 लाख (अक्षरे रूपये सात लाख बाईस हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	आवास संख्या	कार्य का विवरण	राशि (लाखों में)	कुल राशि (लाखों में)
1.	दयाल सिंह एच-663 गांधीनगर	1.Kota stone 2.Mat tile 3.PVC tank 500 ltr 4.Flush door 5.Wash basin with fit.	0.15 0.26 0.10 0.07 0.05	0.63
2.	रवीन्द्र कुमार एच-668 गांधीनगर	1.AC shed	0.44	0.44
3.	गोपाललाल एच-510 गांधीनगर	1.AC shed 2.Jali door 3.Saction window 4.Mat tile 5.Repair of plaster	0.44 0.26 0.04 0.26 0.10	1.00
4.	सिराजुन्नीसा एच-519 गांधीनगर	1.Brick pardi with plaster 2.Saction window 4'x4' 3.Stone slab 3 Nos	0.30 0.06 0.05	0.41
5.	रामकिशन मीणा एच-876 गांधीनगर	1.AC shed 2.Raising of C. wall 3.Mat tile	0.44 0.12 0.26	0.82
6.	उमाशंकर एच-516 गांधीनगर	1.Mat tile 2.PVC tank 500 ltr with fitting	0.30 0.05	0.35
7.	सत्यनारायण वर्मा एच-651 गांधीनगर	1.Mat tile 2.Kitchen Renovation 3.Section window	0.26 0.25 0.04	0.55
8.	ओमप्रकाश शर्मा एच-556 गांधीनगर	1.AC shed 2.Jali door 3.Magnet M.S.door	0.44 0.06 0.07	0.57
9.	गोकुल सिंह बिष्ट एच-595 गांधीनगर	1.AC shed 2.Toilet Renovation 3.Mat tile	0.44 0.20 0.26	0.90
10.	लक्ष्मीनारायण मेहरा एच-886 गांधीनगर	1.Mat tile 2.Washbasin with fitting 3.Jali door	0.26 0.05 0.06	0.37
11.	प्रेमलता एच-896 गांधीनगर	1.Mat tile 2.Kitchen Renovation 3.Jali door	0.26 0.25 0.23	0.74
12.	एच-532 गांधीनगर	1.AC shed	0.44	0.44

मध्य

यह व्यय बजट मद 2216-आवास (हाउसिंग) 05-साधारण पूल आवास, 800- अन्य व्यय (01) निर्माण [05] पंचम एवं छठवीं श्रेणी तथा अन्य आवासों के लिये, 16-लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) में वर्ष 2015-16 में उपलब्ध प्रावधान में से वहन होगा।

कृपया यह सुनिश्चित करावे कि संबंधित आवासों में स्वीकृत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

इस विभाग के पत्र क्रमांक 19(1)सा.प्र.-4/2011 दिनांक 30.12.2011 के क्रम में लेख है कि समस्त संबंधित आवासियों से बजट उपयोगिता प्रमाण पत्र लिए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः कार्य पूर्ण होने पर संबंधित आवासी से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जावे।


समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184)SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत कार्य करवाए जावें।

भवदीय

(^{SD} एम.के.खींची)
शासन उप सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-III, जयपुर।
5. संबंधित आवासी।
6. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव (क)